

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 81 : अन्तिम विवरणी

धारा 45 के अधीन अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-10** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा।
